राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 416/2009
पुनर्स्थापना संख्या :– 15/2023
संपत शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, विकास नगर, बून्दी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गोरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2007 (अनुलग्नक–4) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पूर्व में 18 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण दिनांक जो पूर्व में 25.01.2000 स्वीकृत की गई थी, उसे तिथि को संशोधित करते हुए चयनित वेतनमान की देय तिथि 26.11.2002 स्वीकृत की गई एवं पूर्व में अधिक भुगतान की गई राशि को वसुल किये जाने के आदेश भी प्रदान किये गये। उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 24.10.2008 जारी कर वेतन नियत किया गया, जिसे भी इस अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि आलौच्य आदेश दिनांक 19.02.2007 के द्वारा अपीलार्थी को जो 18 वर्षीय चयनित वेतनमान 7000–12000 दिनांक 21.01.2000 से स्वीकृत किया गया था, उसे संशोधन करते हुए दिनांक 25.11.2002 से स्वीकृत किया गया है और अधिक राशि की वसूली के आदेश दिये गये है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। पूर्व में जो वेतनमान दिनांक 21.01.2000 से स्वीकृत किया गया था, उसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं रहा है। ऐसे में अपीलार्थी से वसूली किया जाना उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस अपील में इस अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 25.09.2009 पारित कर वसूली की सीमा तक स्थगन आदेश पारित किया गया था।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर दिनांक 26.11.1984 को कार्यग्रहण

किये जाने के 10 वर्ष बाद दिनांक 26.11.1994 को वरिष्ठ वेतनमान देय होता है तथा वरिष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 26.11.2002 को चयनित वेतनमान 7500–12000 दिये जाने का प्रावधान है। आदेश दिनांक 01.06.2003 द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में स्वीकृति वेतन मान दिनांक 25.01.2000 से चयनित वेतनमान 7500–12000 स्वीकृत किया गया था। वह आदेशों के अस्पष्ट होने के कारण सहवन से जारी कर दिया गया, जिसे मुख्य लेखाधिकारी, मा०शि० बीकानेर से आदेश दिनांक 31.07.2006 से जारी निर्देशों की पालना में रेस्पो0न0–02 ने आदेश दिनांक 19.02.2007 संशोधित कर रिकवरी के आदेश दिये है, जो नियमानुसार सही है।

3. हमनें उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया। प्रत्यर्थी विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्य ग्रहण किये जाने के 10 वर्ष पश्चात वरिष्ठ वेतनमान देय होता है तथा वरिष्ठ वेतनमान में 18 वर्ष पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2007 (अनुलग्नक–4) से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक का पद दिनांक 26.11.1984 को ग्रहण किया था। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही चयनित वेतनमान का लाभ देय होता है, जो दिनांक 26.11.2002 से देय होता है। ऐसे में अपीलार्थी नियमानुसार दिनांक 26.11.2002 से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। सहवन से अपीलार्थी को दिनांक 25.01.2000 से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था, जिसे संशोधित किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2007 नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना हम नहीं पाते हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं रही है। ऐसे में अपीलार्थी से वसूली किया जाना उचित नहीं है। इस प्रश्न पर भी विचार किया गया। जहां पर गलत रूप से प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिक वेतन का लाभ दिया गया है तो उसे वसूल किये जाने का अधिकार नियोक्ता को रहता है। अपीलार्थी को भुगतान की गयी अधिक राशि को वसूल किये जाने के आदेश को हम गलत होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)